

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, (मचेवा) महासमुंद (छ.ग.) (NAAC Accredited) Email – <u>govtmatakarmagirlscollege@gmail.com/www.gmkgclgmsmd.in</u> Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (CG)

STUDENTS CODE OF CONDUCT

Each student who is taking admission the college has to follow the rules of the college. If they do not follow them they will be a participant of the punitive action set by the government.

1. The students will come to college in a decent costume. In any case, her costume should not be provocative.

2. Every student will concentrate fully on the study, as well as fully cooperate in extra-curricular activities organized by the college.

3. She will behave fairly in the college premises. The use of indecent behavior, unprotected language, abusive language, or firearms will not be used.

4. Every student should be humble and polite with her teachers, officers and employees.

5. Every student has the moral duty to keep the college clean.

6. The consumption of any type of drug in the college is strictly prohibited.

7. It is strictly forbidden to spit in the campus of the college, to dirty walls and furniture or to write dirty things. Strict action will be taken if the student is involved in anti-social and criminal activities.

8. She will not demonstrate her demands by spreading movement, violence or terror. Student will keep himself away from partisan politics and will not resort to political parties, workers or newspapers to persuade her demands.

9. During the classes, the use of mobile phone is prohibited.

शासकीच नाता कर्मा कन्या महाधिद्वालय, महासमुन्ट

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़



M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 77/4785/2001/1/3, दिनांक 27.8.2001 द्वारा यह नियम, आदेशों सहित अनुकूलित

> लेखक श्रीनिवास पराडकर (सेवानिवृत्त) म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी



THE PROPERTY AND

70-71, एम.जी. रोड, रामपुरावाला बिल्डिंग, इन्दौर- 452007 फोन : (दु.) (0731) 2531891, 4074750 (नि.) 4074752 (मो.) 93013-55055, 98270-37713

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 [M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965]

विषय सूची

आचरण नियम 1965 के लागू होने बावत् शासन निर्देश राज्य शासन के निर्देश-	
 (1) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. डी-115/ कार्यमारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले 68/1/(3) दिनांक 21-7-1977 कर्मचारियों के लिये आचरण नियम, 1965 के प्रावधान लागू। 	1
(2) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-1/ स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने 93/31/दिनांक 15 जुलाई 1993 बाबत् ।	2
(3) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-3/94/ मध्यप्रदेश स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम, 1965 3/1/दिनांक 10 अक्टूबर 1994 लागू करने के संबंध में।	2
नियमों से संबंधित निर्देश तथा नियमों के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965	
नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति नियमों की प्रभावशीलता के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय:-	3
(1) प्रत्येक कानून अथवा कानूनी नियम भविष्यलक्षी होता है जब तक कि उसे अभिव्यक्ततः अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो	4
(2) आचरण नियम-प्रस्तावना-उद्देश्य	4
(3) सामान्य/विशिष्ट आदेशों को, जब तक विशेष रूप से ऐसा प्रावधानित न हो, इन्हें वैध करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं- शक्तियों का प्रत्यायोजन	5
 (4) जहाँ नियम नहीं बनाये गए हैं वहाँ सेवा शतौँ को विनियमित करने हेतु प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं 	6
(5) प्रशासनिक अनुदेश सांविधिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते	6
(6) सेवा शर्तों में परिवर्तन- सेवा की प्रकृति सरकार द्वारा पूर्णतः परिवर्तित नहीं की जा सकती	7
(7) राज्यपाल के अनुदेशों से सेवा नियम संस्थापित नहीं हो सकते	7
(8) प्रशासनिक अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते	7
(9) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण, नियमों के विस्तार के बाहर, अतः स्पष्टीकरण अवैध	7
(10) सांविधिक नियमों के अनुसार ही प्रशासनिक अनुदेश जारी करना चाहिये	7
(11) सांविधिक परिशिष्टों को पुस्तकों के सन्दर्भों से नहीं बल्कि केवल प्राधिकारपूर्ण आदेशों द्वारा हो स्पष्ट किया दा सकता है	8

	THE FLOW IN	म.प्र./छ.ग. सिविल सेथा (आचरण) नियम, 1	
		त अभिभावी होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 309	965
(1	2) साविधिक नियना नर जाता ??	त्यम, अनुच्छेद 73 के अधीन जारी कार्यपालक	
	क परन्तुक क अतगत बनाव ग	अधिभावी होगा- किन गेमे अपने र	
	अनुदर्शा म याद विवाह हो तो,	अभिभावी होगा- किन्तु ऐसे अनुदेश जो नियमों	
	या अधिनियमों के पूरक हैं, ये	बाब्दकर हाग	
(1	3) भारत के नियत्रक-महालखा ५०	क्षिक के स्थायी आदेशों के प्रावधान कार्यपालक	11
	अनुदेशों से अधिक बल रखते		N.
(1	4) प्रशासनिक अनुदेश/कार्यवाहा व	कब न्यायिक पुनरीक्षण योग्य होते हे	
		नियम 2	3
		परिभाषाएँ	
x		(Definitions)	
1. नि	NEVER SHOW THE PROPERTY OF		
2. 4.	.प्र. राज्य शासन के निर्देश - आचर	ण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें	1
	and states	नियम 3	
		तामान्य (General)	
नियम	3-क. तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार	and the second s	1:
नियम	3-ख. शासन की नीति का पालन	करेगा	1
1. 1	नेयम		
2.4	.प्र. राज्य शासन के निर्देश -		1
	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर	पूरक हिदायतें	
(2)	Government servant's role in th	e cradication of untouchability	1
(3)	arising out of their employmen	v by Government servants of grievances	
(4)	म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 489/475/1		1
3.05	(3)/71 भोपाल, दिनांक 8	शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना	
	सितम्बर, 1971	रपानान्तर के बाद खाला न करना	1
(5)	म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 460/सी.	विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय	•
	आर./396/एक (3) भोपाल,	सेवकों की उपस्थिति ।	1
	दिनांक 28 अगस्त, 1971		
(6)	म.प्र.सा.प्र.वि. (6) एफ क्र.	अनसचित जाति तथा अन्यतीन	
÷	5-1/77/3/1 भोपाल,	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवर्को का व्यवहार।	1
14.5	दिनांक 1 अक्टूबर, 1977	जन्म साम रामकाय सवका का व्यवहार।	
(7)	म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/86/	गिरफ्तार किये गये शासकीय सेवक की गिरफ्तारी	
	3/1 भोपाल, दिनांक 8 1 97	की सूचना ।	1
(8)	म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.एफ. 18/6/	शासकीय आवासों में बिना अनुज्ञा के संशोधन,	
	92/जी/ 19, भोपाल, वित्तांक २४ - २	परिवर्तन एवं अतिक्रमण बाबत ।	1
	दिनांक 26.03.1992		

÷

विषय-सूची

 (9) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. सी.3-107/ 92/3/1, भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 1993 	शासकीय सेवा में नियुक्तियों, के संबंध में अविहित सूत्रों से प्राप्त अनुशंसाओं पर कार्यवाही ।	16
(10) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 5-2/ 94/3/I, मोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 1994	''कार-सेवा'' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	17
(11) म.ग्र.सा.ग्र.वि. क्र.एफ.11(30) 94/1-10, दिनांक 7.11.1994	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।	17
(12) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/ 2006/3/1,दिनांक 16-11-06	शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।	18
(13) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-6/95/ 3/एक, भोपाल दिनांक 3.1.96	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराये जाने बाबत।	19
(14) छ.ग.शा.सा.प्र.वि.क्र. एफ-02- 01/2014/1-3, दि. 6.2.14 नियम 3 के संदर्भ में न्यायालयीन निष	ठच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराना ।	19
(1) अवचार की परिभाषा	गय-	
		20
(2) सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणत	िका अथ	21
(3) अशोभनीय आचरण		22
(4) अवचार क्या है		22 '
लिये दुराचार का आघार नहीं		23
होना चाहिये तभी किसी कर्म	रा अथवा सेवा विनियम में अवस्य ही प्रगणित कार को उसके आधार पर दंडित किया जा सकता थ्यों को छिपाने का दोष अवचार है	23
(7) 'शासकीय सेवक के लिये अ लगाना चाहिये- परीक्षण	शोभनीय कार्य' का अर्थ सामान्य बुद्धि के अनुसार	24
घन के दुर्विनियोजन को सुवि चेकबुक रखने में की गई ला	जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कर्मचारी ने घाजनक बनाने में भाग लिया था, तब तक उसको परव्नाही के लिये अवचार का दोषी नहीं ठहराया	25
बाष्य है कि वह उसे विनिर्दि	दांडिक निष्कर्ष निकलते हैं तो नियोजक इसके लिये ष्ट तौर पर बताए और यदि आवश्यक हो तो सुनिश्चित ससे कि किसी घटना का कोई अधिकृत निर्वचन अवचार	25
न माना जाए		
An and a second second second	and the second second second second second	

[iii

iv]	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) क	1
(1	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1) कदाचार-कर्मचारी द्वारा दीर्घकालीन निष्कलंक सेवा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के बारे में केवल एक बार अविवेकी अशिष्ट या धमकी देने वाली भाषा के प्रयोग पर पदच्युति का दण्ड अनुपातहीन एवं अत्यधिक-दंड कदाचार के अनुपात में होना चाहिये 1) उच्च अधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना दुराचरण का कृत्य नहीं है 2) अभ्यावेदन में अपमानजनक तथा निन्दात्मक भाषा का प्रयोग तथ्यों के आघार पर सिद्ध नहीं 13) शासकीय आवास का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने हेतु जांच-ऐसी जांच अनुशासनिक जांच नहीं बल्कि घरेलू जांच हो सकती है। शिकमी किरायादार रखने की तिथि से ही	26 28 28
(मानक किराया अनुज्ञेय (14) अवचार- अनधिकृत रूप से शासकीय आवास रखना क्या आचरण नियम 3 के अंतगंत अवचार है ? नहीं - आवास रिक्त कराने के लिये अनुशासनिक कार्यवाही तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करना अनुचित- अनिवार्य सेवानिवत्ति आरोण कार्यवाही	28 29
	 (15) नियम 3- ज्ञात आय से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का होना- विभागीय जांच- संकीर्ण मनस्त तथा शासकीय सेवक की सत्रिष्ठता के आंकलन के मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्ति-सूचना 10 प्रतिशत कुशन देने के बाद भी कम से कम रुपये 9,500 की असंगत परिसम्पत्ति रखने का दोषी- आवेदन खारिज 	30
	 (16) कदाचार-ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना- आयकर प्राधिकारियों तथा विभागीय जांच में उठे प्रश्न पूर्णतः भिन्न और विपरीत - अतः आयकर से मुक्त होने पर विभागीय जांच में दोषी पाये जाने का निष्कर्ष प्रभावित नहीं (17) (17-क) विभागीय नां 	32
	निष्कष-न्यायिक पुनर्विलोकन-न्यायालय या अधिकरण साक्षियों पर आधारित निष्कर्षों पर हस्तक्षेप कर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। (ख) लोक सेवक के जान जन्म ने प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।	33
	वर्गीकरण नियमों के 'दुराचरण के परिभाषा में आमिल नहीं है, किन्तु ऐसा होते हुए भी यदि अपचारी ऐसी परिसम्पत्ति का लेखा देने में असफल रहता है तो इसे दुराचरण माना जाएगा क्योंकि यदि प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के सेक्शन 5(1)(ई) अधिनियम, 1988 का सेक्शन 13 (1) (ई)।	34
1	 (ग) विभागीय जाँच-शास्ति-अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति यह लम्बित अत्तर्यवाहियों के परिणाम के अधीन है और अतः उचित शास्ति अधिरोपित करने भें बाधा नहीं डालेगी। (घ) विभागीय जाँच-प्रारंभ करने में विलम्ब-क्या अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है- यह मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा-ऐसे मामलों में आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने 	4
H	्रावरपक तथ्या को एकत्रित करने	

~					
a	T	21	-स	9	
-		-			

	में समय लगता है अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा।	
(18)	लोक सेवक की सत्यनिष्ठा विश्वसनीय सारवान् के आधार पर निश्चित होनी चाहिये-	36
	ऐसा निश्चय लेने हेतु अनुसरण करने वाली प्रक्रिया	
(19)	प्रसा मरपप लग खु अनुसल करने वाला प्राक्रया -यायिक/अर्थ-न्यायिक कृत्यों के प्रयोग में अधिकारी द्वारा, लिया गया विनिश्चय अधिकारी के विरुद्ध कब अनुशासनिक कार्यवाहियों का आधार बन सकता है- परीक्षण-क्या विनिश्चय उसके पदीय कर्त्तव्य के विस्तार के भीतर है-यद्यपि सुस्पष्टता नुटिपूर्ण निर्णय के मामले में, यदि अपनी शक्ति के अधिकार से लिया गया है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, किन्तु यदि भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य के अनुवर्ती में निर्णय लिया गया है तो अनुशासनिक कार्यवाही होगी। यह प्रत्येक मामले के परिस्थितियों पर निर्भर होगा। इस मामले में निर्णय नुटिपूर्ण हो सकता है, किन्तु	37
	अधिकारी के विरुद्ध घ्रष्टाचार या असंगत विचार का अभिकथन नहीं है, अतः उसके	
	विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती	
(20)	आचरण नियम 3 (1) (i), (ii) तथा (iii)- न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक शक्तियों का शासकीय अधिकारी द्वारा प्रयोग करना- यदि अधिकारी किसी व्यक्ति पर अनुचित उपकार लापरवाही या अंधाधुन्ध से प्रदान करता है तो नियमों के उल्लंघन के लिये सरकार अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम है।	38
	अर्ध-न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करते हुए निर्णित मामलों में क्या वह अधिकारी	
	अनुशासनिक कार्यवाहियों से उनमुक्ति का उपयोग कर सकता है- नहीं। प्राधिकार के आदेश की वैधता को अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनर्विलोकन में चुनौती दे सकता है	
(21)	न्यायालय द्वारा अवचार बाबत राज्य सरकार के विवेकाधिकार को नियंत्रित नहीं	39
(21)	किया जा सकता	
(77)	अक्चार का एक आरोप सिद्ध होने पर भी शास्ति आदेश कायम रहेगा	40
(23)	स्थापित आरोप में अवचार स्पष्ट नहीं- अतः आरोप असफल	40
(24)	निजी जीवन में किये गये अवचार हेतु शासकीय सेवक पर शास्ति अधिरोपित करने में राज्य की शक्ति	40
(25)) 'अवचार' और 'आपराधिक अवचार' में विभेद	40
(26)) ग्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 तथा 5	40
(27)) प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4	40
(28)) अभियोजन चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं	41
(29)) कौन से कृत्य अवचार है-	41
) धमकी भरा पत्र लिखना	41
G	i) ज्येष्ठ अधिकारी के विरुद्ध असत्य कथन करना	41
Gi	i) शात आय के स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखना	41
(in	 अनुपस्थित रहना और की गई कार्यवाही के विरुद्ध भूख हड़ताल 	41

का सहारा लेना ।

[v

[म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1	96
(1) 7	क में आग लगाना, असावधानी का पर्याप्त प्रमाण	-
(V) S	गहन से पेट्रोल निकालकर शराब हेतु उसे बेचना	4
(VI) -	गनमानी यात्रा करना	4
((1))	हार्यालय के बाहर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करना	
(viii) ·	मूठी अपराधिक शिकायत लिखाना, कृतक नाम से शिकायत भेजना	
	सरे शासकीय सेवक पर प्रहार करना	1
(x) 4	अचित माध्यम का अनदेखा कर सीघे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना	
	बरना में भाग लेना हड़ताल है, अतः अवचार तहै	
	भूख हड़ताल पर बैठना	1
	र्यूटी के निर्वहन में लापरवाही/असावधानी	1
	क्त्वंव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति	-
	बिना लायसेन्स हथियार रखना	1
	विभागीय निर्देशों के अनुसार काम न करना	
	अन्धाधुन्ध वाहन चलाने से क्षति होना	
	पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना	
	कौन से कृत्य अवचार नहीं हैं-	
	यूनियन के सचिव की हैसियत से रेल दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में रेल	
	भूनवन के सांवर्ण का हासवत से रहा पुंबटनाओं के कारणा के बार में रल सेवर्कों की प्रतिक्रियाओं और विचारों का प्रकाशित करना ।	
	गृह निर्माण/स्कूटर अग्रिम का वापस न करना	
(in)	अनुपस्थिति में ठेकेदार की त्रुटिपूर्ण सेन्ट्रिंग तथा शटरिंग के कारण छत का गिरना । टेलीफोन यंत्रों को स्टाक से घर ले जाना	
(v) (vi)	भूतलक्षी प्रभाव से अवचार के कृत्य लागू नहीं किए जा सकते बदमाणों ने जानपुर से मजाती को जान की किए जा सकते	
(11)	बदमाशों ने डाकघर से घनराशि को लूटा, अतः नियम 3(1)(i) तथा (ii) लागू नहीं ।	
	बीमारी के कारण अनुपस्थिति	
(viii)	शासकीय आवाप वर राज्यात	
(ix)	शासकीय आवास का स्थानान्तर पर रिक्त न करना अग्रिम या उधार लेने की शर्तों का उल्लंगन करना	
(x)	अर्ध न्यायिक शकि के स्टेन के स्टेन	
	अर्ध न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय की त्रुटि अवचार नहीं, किन्तु गलत	
	े गुल नाव नेवट आधुपारा पात जात को का जात	
(xii)	कार्यक्षमता का उच्चतम मानदण्ड प्राप्त करने की असफलता मनमाना निर्धारित लक्ष्य प्राप्थ करने की असफलता	
(xiii)	शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से रहना	
1	जानटन निर्देश होने के चार की	
	The state of the s	
(xvii)	विरोधाभासी बयान देना	

विषय -	सूची		[vii
(3	अधिकरण ने शास्ति आदेश अपास	हेड कान्सटेबल को सेवा से हटाया गया- प्रशासनिक त कर बहाली का आदेश दिया- उच्चतम न्यायालय	44
•	ने शास्ति कठोर पाया- पिछले के निर्णय दिया ।	तन की पात्रता न करते हुए सेवा में बहाल करने का	
		नियम 4	
5	जासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवे	ट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट	
1.0		का नौकरी में रखा जाना	
(Er	nployment of near relatives of	f Government servant in private undertakin Government partonage	ıg
1.	नियम		46
2.	राज्य शासन के अनुदेश- आचरण 1	नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें नियम 5	46
	मन्त्रीनि जण	ग निर्वाचनों में भाग लेना	
		t in Politics and Elections	
	(Taking par	In contres and sections	47
1.	ाज्य शासन के निर्देश-		
2.	General Book Circular - Part I	Serial No. 9, Para 4	47
(1) (2)	2904/3763/I (iii)/66, dt. 23.12.1966	Association of Government servants with the activities of R.S.S.S./Jamaat-e-Islami.	48
(3)	498/629/एक (3)/72	सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर	49
(5)	दिनांक 23.8.1972	संघ के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	
(4)	542/सी.आर. 353/एक (3)	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत।	49
	दिनांक 14 सितम्बर, 1972 .	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के	50
(5)	एफ 5-1/74/3/1, दिनांक 15 मई, 1974	कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को	
(6)	एफ 5-3/74/3/1	निरस्त करना। शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों	50
6 22,233	दिनांक 3 सितम्बर, 1974	में भाग न लेने के संबंध में। शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों	50
	एफ 5-3/74/3/1, दिनांक 30 अप्रैल, 1975	में भाग न लेने के संबंध में। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में शासकीय	51
(8)) डी. 2/6/1 (3)/78, दिनांक 3 जून, 1978	कर्तनारियों के भाग लेने बाबत।	51
(9)) 171/52/1 (3)/81, दिनांक 16 अप्रैल, 1981	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने	-
(1	0) 173/165/1/ (3) 81,	के संबंध में। शासकीय कर्मचारियों को ''आनन्द मार्ग'' के कार्य-	52
U.	दिनांक 16 अप्रैल, 1981	कलापों के साथ सहाचर्य।	

[vii

viii)	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचाण)	4
(11) 562/1695/एक (3) 81, दिनांक 24 नवम्बर, 1981	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) निषम, 1 शासकीय कर्मचारियों को 'आनन्द मार्ग' के कार्य. कलापों के साथ साहचर्य।	201
(12) सी-3-16/88/3/49, दिनांक 22 अगस्त, 1988	शासकाय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	21
(13) सी. 5-2/93/1, दिनांक 29 अप्रैल, 1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य।	53
(14) एफ-24-19/93/सी/1, दिनांक 20 अगस्त, 1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांब एवं कार्यवाही।	54
(15) एफ. 19-36/94/1/4, दिनांक 23 मार्च, 1994	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अंतर्गत निर्वाचनों में आफिसरों द्वारा अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करने बाबत निर्देश।	55
(16) 527/567/1 (3)/71 दिनांक 23 सितम्बर, 1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्यकलापों में भाग लेने संबंधी।	58
(17) सी-5-2/2000/3, दिनांक 30 मई, 2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	58
(18) सी/5-27/2000/3/एक, दिनांक 14/21-8-2006	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में ।	59
(19) सी5-1/2011/3/एक, दिनांक 27 मार्च 2011 नियम 5 के संदर्भ में न्यायालयीन नि	शासकीय अधिकारी की किसी राजनैतिक दल, राजनैतिक विद्यार्थी संगठनों के कार्यक्रम में उपस्थिति। रार्णय -	59
(1) शासकीय सेवा में आने से प्	र्व राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध-मात्र इस आधार पर अनुचित कि पुलिस ने यह रिपोर्ट की थी कि वह किसी	60
(2) साम्यवादी पार्टी के सदस्यों र रखना- Civil Service (Safe	ते संबंध रखना-राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों में रूचि guarding of National Security) Rules, 1949 का ार्यकलापों से संबंध रखना नहीं है, अतः नियम 3 लागू	60
(3) केवल रैली में उपस्थित रहना (4) प्राप्तीय ने दिला से उपस्थित रहना	- नियम 5 आकृष नहीं होगा	62
(4) राजनातिक माटिंग में निरुचेष्ट	उपस्थिति (passing attendance) होता अनसित नहीं	62
(5) शासकीय परिसरों में सभा का	प्रतिषेध उचित	63
	नियम 6	
ਸ਼ਟਵਾ	न तथा हड़ताल	
. नियम् (Demons	tration and Strike)	64
. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश		04

विषय-सूची

(1)	डी. 300/2051/87/	मूलभूत नियम 17-ए	64
(2)		शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल	65
(3)	दिनांक 5 नवम्बर, 1975 सी-9-2/90/3/1,	आदि पर प्रतिबंध। शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों,	66
	दिनांक 2 फरवरी, 1991	धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	
(4)	सी/9-3/93/3/1	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, घरना	66
	दिनांक 2.9.1993	तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय में अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	
(5)	'सी5-2/94/3/1,	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के	67
	दिनांक 27 अगस्त, 1994	विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	
(6)	एफ-3-2/1/वे.आ.प्र./98	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, घरना	67
	दिनांक 14 सितम्बर 1998	तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	
		स अनुपास्थात का अवाध क संबंध में । म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, म.प्र.	68
(7)	एफ 1-3/2002/वि.आ.प्र./1, दिनांक 12 फरवरी 2002	म.प्र. तृतीय वर्ग शासकाय कमचारा संघ, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ एवं म.प्र. लिपिक वर्ग कर्मचारी	68
	141141 12 1111 2002	संघ द्वारा आंदोलन/हड़ताल की सूचना ।	
(8)	1744/2940/06/1/3,	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, घरना	68
32.02	दिनांक 5.08.2006	तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय	
		से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	
(9)	3170/3440/2006/1/3	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, घरना	68
1000	दिनांक 22.11.2006	तथा सामूहिक अवकाश आदि के संबंध में।	
छत्ती	ोसगढ़ शासन के निर्देश	52 23.0 1 25	
	एफ 2-3/1/9/2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, घरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय	70

[ix

से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।

नियम 6 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

- (1) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के 72 अनुच्छेद 19 (1) (ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंधन है, हड़ताल पर प्रतिबंध उचित
- (2) प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर-संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत हड़ताल 74 करना मूलभूत अधिकार नहीं- जब हड़ताल गैरकानूनी घोषित कर दी गई तब इससे सम्बन्धित प्रभी गतिविधियाँ अवैध- प्रशासनिक शालीनता के हित में जब शासकीय सेवक को हड़ताल से वर्जित किया गया, तब ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 असंवैधानिक नहीं।

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आच	रण) कि
----------------------------	--------

वम, 1965 विषय

76

76

- (3) हड़ताल (बंद) के दिन अनुपस्थित रहना- क्या सेवा में व्यवधान लागू किया जा सकता है ? नहीं ।
- (4) हड़ताल के दौरान अनुपस्थित- चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति - आदेश लोक सेवा हितार्थ में नहीं अतः अपास्त करने योग्य।
- (5) संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- इड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है, अतः पदच्युत किए गए कर्मचारों को काम पर वापस लेना न्याय के हित में होगा।
- (6) नियम 6(दो) के अंतर्गत समयोपरि कार्य (overtime work) से इंकार करना हड़ताल 77 है।

मूलभूत नियम 17-ए - अप्राधिकृत अनुपस्थिति- सेवा में विच्छेद - नियम की संवैधानिक विधिमान्यता अनुमोदित - यदि समयोपरि कार्य से इन्कार किया जाता है तो इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

नियम-7

शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन (Proceeding on leave by Govt. Servants)

79 1. नियम 79 2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश अनधिकृत अनुपस्थित की अवधि में कर्मचारी का 80 62/1464/I (3).79, निलम्बन । 28.01.1980 शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/ 81 (2) सी. 3-12/90/3/49 अनधिकृत अवकाश आनुशासिक कार्यवाही। 19.07.1990 शासकयी सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के 81 (3) য় . 6-36/92/3/1 संबंध में । 5.9.1992 83 शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृति (4) सी. 3-7/1/3/99 25.2.1999 83 शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के (5) 积-6-3/2000/3/एक संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही । 2.2.2000 84 अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय (6) सी.6-6/2000/3/एक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही । 16.8.2000 छत्तीसगढ शासन के निर्देश अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय 85 叹听 3-1/2014/1-3 दिनांक 10-02-2015 सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही। 3. नियम 7 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी से अनुपस्थिति-स्वीकृति अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- जोधपुर सेवा 87 विनियमन के नियम 13 के अंतर्गत सेवा की समाप्ति अनुचित

x]

विषय-सूची

. . .

बावजूद भी अपने आप सेवा समाप्ति नहीं हो सकती	
(3) न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के बाद भी सम्बन्धित प्राधिकारियों ड्यूटी जवाइन	88
करने की अनुमति नहीं दी- 5 वर्षों से अधिक समय की अनुपस्थिति-नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा समाप्ति से अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हुआ	
(1) रुपाई प्राप्तकीय ग्रेस्ट का गांव नर्ज के	rara
(4) स्थाई शासकीय सेवक का पांच वर्षों से अनुपस्थित रहना- शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना-पुनः स्थापना हेतु अवमुक्ति-न्यायालय द्वारा दिया जाना	88
(5) पुत्र की बीमारी के कारण, स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करते हुए, नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा का समाप्त करना- अवैधानिक	88
(6) अध्यापक का परीक्षा देने जाना और इसे जानबूझकर अनुपस्थिति मानते हुए सेवा समाप्त करना-आदेश अपास्त	89
(7) अधिकारी बीमारी के कारण अवकाश पर था। स्वस्थता प्रमाण-पत्र उसे न देने के- कारण इयूटी पर नहीं लिया गया। इसे जानबूझकर अनुपस्थित रहना मानकर पाँच	89
वेतनवृद्धियाँ रोकने की शास्ति दी गईं। ऐसी परिस्थिति में अनुपस्थित मानना अनुचित	
(8) दुराचरण-स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थिति-स्वीकृत अवकाश के पूर्व अवकाश बढ़ाने का आवेदन देना किन्तु इससे इन्कार न करना-दुराचरण का दोषी नहीं-स्वेच्छा	90
से सेवानिवृत्ति बाबत दी गई नोटिस की स्वीकृति आवश्यक नहीं-मूलभूत नियम 56 तथा केन्द्रीय पेंशन नियम 48(1)	
	91
जानबूझकर उल्लंघन करने बाबत आरोपित- स्वेच्छया सेवानिवृत्ति अनुज्ञात- सिद्ध	
आरोप के आधार पर पेंशन तथा उपदान की सम्पूर्ण राशि का रोकना- यह दण्ड अवचार की गंभीरता के अनुरूप न होना, अतः कार्यवाही अवैध तथा अविधिमान्य	
(10) कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि को बिना कारण बताओ नोटिस दिए अकार्य दिवस (dies non) मानना-नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन	92
	93
तथा मुख्यालय छोड़ने को स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र दिया-न स्वीकार और न अस्वीकार	
किया गया-ऐसी परिस्थितियों में अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप कायम नहीं रखा जा सकता शास्ति धादेश अपास्त	
(12) अवकाश अवधि से अधिक रकने पर पदच्युत का औचित्य-जहाँ अवकाश का बढ़ाना अस्वीकार किया गया किन्तु सेवक स्वेच्छा से नहीं बल्कि अप्रतिरोध्य परिस्थितियों	94
के कारण कुछ दिन और अनुपस्थित था, वहाँ पदच्युत अनुचित, लघु शास्ति दी जा	
सकती है- शास्ति अनुपातहीन।	
(13) जानबूझकर अनुपस्थित-तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित, अवकाश स्वीकृत कर जब अनुपस्थिति नियमित कर दिया गया हो तो शास्ति अधिरोपित करने के लिये इसे	94
दुराचरण नहीं माना जा सकता।	

(2) लम्बी बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित-नियमों में ऐसा प्रावधान होने के

[xi

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) निषम, ॥ (14) स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी- उपस्थिति रिपोर्ट का यह स्वीकृत अवकाश का समापत के पूर्व ड्यूटी जवाइन करने की था अर्थ नहीं कि स्वीकृत अवकाश की समापत के पूर्व ड्यूटी जवाइन करने की अनुमति अर्थ नहीं कि स्वीकृत आवकाश की समापत के पूर्व ड्यूटी जवाइन करने की अनुमति अर्ध नहीं कि स्वाकृत जनवार मांगी गई थी। केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का नियम 24 (1), म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 का नियम 23 (1)।

- म.प्र. ासावल समा समाप्त होने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहना-विभागीय (15) प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहना-विभागीय प्रतिनियुक्ति को अभाग से शास्ति अधिरोपित-प्रकरण की परिस्थितियों और दुराचरण जांच के बाद पदण्डात के अल्लाम के पदच्युति के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के स्वरूप के प्रकाश में उच्च न्यायालय ने पदच्युति के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अन्तःस्थापित किया।
- (16) अस्थायी सेवक अपनी सेवा की अधिकांश अवधि में अवकाश पर था- इससे अस्थाया सपन जाता कार्य में रुचि नहीं है-अतःअस्थायी सेवा नियमों के नियम 5 (1) के अंतर्गत सेवा की समाप्ति का आदेश उचित है।
- (17) पत्नी की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने के बावजूद सेवा समाप्ति-अनुचित-वर्ष में एक दिन की अनुपस्थिति अनियमित अनुपस्थित नहीं।
- (18) दुराचरण-जानबूझकर अनुपस्थिति-जब अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया तो उस अवधि को जानबूझकर कर अनुपस्थित रहना नहीं कहा जा 97 सकता और शास्ति आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।
- (19) सात दिनों की अनुपस्थिति हेतु सेवक को निलम्बित कर सेवा से पदच्युत किया गया- 97 शास्ति कठोर मानी गई, अतः लगातार सेवा में बने रहने के साथ सभी लाभों सहित बहाल किया गया किन्तु आचरण में सुधार के लिये पदच्युत तिथि से निर्णय की तिथि अर्थात् 4-12-1998 तक वेतन का 50 प्रतिशतं पात्रित किया गया।

नियम 8

शासकीय सेवकों द्वारा संस्थाओं में सम्मिलित होना

(Joining of Association by Govt. servant)

1. नियम

- 2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-2232-160-I (iii)/68 dt. 30.1.1968
- (1) 313/मु.स./73 दिनांक 1 मार्च, 1973
- (2) क्र.एफ 5/6/75/जेसीस/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 1973
- (3) 副 第. 576/1719/(3)/75 दिनांक २५ अगस्त, १९७५
- (4) 东.102/337/1-.15/92 दिनांक 25 जनवरी, 1992

Government Servants (Service Association) 99 Rules, 1967

94

99

कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना । 99

कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना। 99

शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग 101 न लेने के संबंध में निर्देश ।

राज्य स्तरीय संघों को शासन के आदेश की 101 प्रतियाँ प्रदान करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत ।

xii]

विषय	।-सूची		[xiii
(5)	क्र.9-2/92/कक/1-15 दिनांक 4 जुलाई, 1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन आदेशों की प्रतियां प्रदान करने, बैठकों में आमंत्रित करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	102
(6)	एफ 5-6/2013/1-15/क.क., दिनांक 25.1.2016	मान्यता प्राप्त संघों की संसोधित सूची जारी करने बाबत् ।	103
(7)	क्र. 2042/3246/92/1-15 दिनांक 2 नवम्बर, 1992	एक कर्मचारी संघ के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना संबंधी एक विधिक आपराधिक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्तियाँ।	105
	No. 2456-1549-I (iii),	Madhya Pradesh Government Servants (Recognition of Service Associations) Rules, 1959	112
(8)) सी. 5-2/94/3/1 दिनांक 27 अगस्त, 1994	'कारसेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	114
(9)) क्र. सी. 5-1/97/3/1 दिनांक 20 फरवरी, 1998	शासकीय सेवकों द्वारा अखिल भारतीय वामपंथी मोर्चा संघ की गतिविधियों में भाग न लेना ।	115

नियम 8 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1)	संविधान का	अनुच्छेद	19(1)(सी)-	शासकीय	सेवर्को व	को संघ	(Association)	116
	बनाने का अ	धिकार है						

- (2) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के 119 अनुच्छेद 19(1)(ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंधन है- हड़ताल पर प्रतिबंध उचित
- (3) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम 119 ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है- अतः पदच्युत किए गए कर्मकारों को काम पर लेना न्याय के हित में होगा

नियम 9

प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध

(Connection with Press or other media)

1. नियम	120
2. मूलभूत नियमों में प्रावधान मूलभूत नियम 48	120
म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- GBC Part I, Sl.No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरव	ন নির্देश 125
(1) 6644/748/1(3)/69, शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनाव	
दिनांक 16 अप्रैल, 1969 शिलान्यास आदि ।	

xiv]	•	म.प्र./छ.ग. सिबिल सेवा (आचरण) नियम,	194.
(2)	एम/15/147/73/4/1 दिनांक 7 अगस्त, 1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में ।	126
(3)	1796/मुस./73 दिनांक 7.12.1973	सार्वजनिक समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास समारो आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में ।	G 126
(4)	256/मुस/76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास बाबत् ।	127
(5)	319/मुस./76 28.04.1976	शासकीय अधिकारी द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाना	127
(6)	क. एम. 15/78/76/4/1 दिनांक 20 सितम्बर, 1976	प्रतिमा स्थापना के संबंध में ।	127
	क्र. एम. 15-52/77/4/1 दिनांक 23 अगस्त, 1977	पुल, भवन, बांघ आदि के उद्घाटन के लिए खर्च की स्वीकृति देने बाबत ।	129
	क्र. 2259/1665/1(4)/81 दिनांक 23 अप्रैल, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
	क्र. एम. 23-27/81/4/1 दिनांक 5 दिसम्बर, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
(10)	क. एम. 19-246/85/1/4	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
	क्र. एम. 19-95/87/1/4 दिनांक 23 अप्रैल, 1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना ।	130
1	क. एम. 19-69/88/1(4) देनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
(13)ş f	ह. एम. 19-69/88/1(4) देनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
F	ह. एम. 19-58/92/1/4 देनांक 30 जुलाई, 1992	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
R	ह. एम. 19-146/1992/1/4 देनांक 25 जनवरी, 1994 ह. एम. 19-58/1992/1/4	रासकाय आधकारियों द्वारा उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास इत्यादि करना तथा स्वयं का प्रचय कार्यना ।	131
R	देनांक 23 मई, 1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन,'अन्धवरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	132

विषय-सूची		[xv
17) क्र. एम. 19-44/1995/1/4 दिनांक 29 मई, 1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	132
(18) क्र. एम. 19-115/1998/1/4 दिनांक 17 अगस्त 1998	शासकीय आयोजनों के संबंध में।	133
(19) क्र. सी. 3-19/2000/3/एक दिनांक 12 जुलाई, 2000	शासकीय अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों/दूरदर्शन में समाचार का प्रकाशन/प्रसारण।	133
नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन नि	ภ์ น -	
(Statute) स संबाधत कानून प्रकाशन नियम 9 के अंतर्गत	ाने हेतु अनुमति-न्यायिक अधिकारी द्वारा संविधि की व्याख्या के प्रकाशन हेतु अनुमति-यदद्यप इसका नहीं आता तथापि उच्च न्यायालय पुनः विचार करें	134
(2) यूनियन के सचिव द्वारा रेलवे	की दुर्घटनाओं बाबत कर्मचारियों की प्रतिक्रिया	134
तथा विचार लिखतना अवचार	A CARRENT AND A CAR	
	नियम 10	
	शासन की आलोचना	
	icism of Government)	
1. नियम		135
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-		10512
(1) म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र में		135
 नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन (1) राष्ट्र विचार साराज्य की राष्ट्रण 	ानणय- पर अनिवार्थ सेवानिवृत्त- अभिनिर्धारित संविधान के	137
요즘 사람이 물건에서 다 많은 것이 많은 것을 얻는 것이 다. 것은 것이 많은 것이 같은 것이 같이 같이 같이 같이 ? 것이 같이 것이 같이 같이 ? 것이 같이 것이 같이 ? 것이 같이 같이 ? 것이 같이 것이 같이 ? 것이 ? 것	पर जानवाय संवानिपृतः जाननिवास्त साववान क । लागू नहीं अतः शास्ति आदेश निरस्त	137
-	fication)- आपातकाल में एक अवसर पर नारेबाजी	137
	मंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया- इसे छिपाने पर नियुक्ति	
(3) केन्द्रीय आचरण नियम 9 क परन्तक) - शासन की आलो	। दूसरा परन्तुक (म.प्र. आचरण नियम 10 का दूसरा चना - क्या आल इंडिय। रेडियो के स्टाफ को रेडियो काश डालने के लिए दूसरे परन्तुक के अंतर्गत छूट प्राप्त	137
है ?- अभिनिर्धारित नहीं		
ाम प्र आचरण नियम, 10(i	ल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 नियम 7(i))]- संवैधानिक वैधता- अभिनिर्धारित, शासकीय सेवक्र	139
को वाक्-स्वतंत्र्य और अभिव sion) तथा किसी वत्ति या	त्रक्ति स्वतंत्र्य (Freedom of Speech and Expres- उपजीविका (any profession or occupation) का	
अधिकार है- नियम 7(i) द्वा सरकार की नीति की प्रत्येक 3	त लागू प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) नहीं रोकता क्योंकि आलोचना लोक व्यवस्था (public order) को प्रभावित 19(6) इस नियम का निवारण करता है क्योंकि नियम	
नहा करता-तथा।५ अनुब्छद	हेत में कहा जा सकता है।	

10.8

नियम 7(i) मि.प्र. आचरण नियम 10(i)] का अर्थ यह लगाया जाएगा कि शासकीय 139 सेवक सेवा शर्तों से सम्बन्धित मामलों पर अपनी शिकायतों पर संगम (association) द्वारा सरकार की आलोचना कर सकते हैं किन्तु सरकार की ऐसी नीतियों या कृत्यों के बारे में जो उनसे सम्बन्धित न हों, ऐसा नहीं कर सकते ।

(5) आचरण नियमों में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे उचित हैं- बिना अनुमति के राज्यपाल 142 को पत्र लिखना, नियोजक-निगम पर कुन्नकार्य (malfunctioning) का अभिकथन करना-तथ्यों के आधार पर अधिरोपित शास्ति उचित ।

निबम-11

समिति या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य

(Evidence before a Committee or any other Authority)

1. नियम

म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

(1) पुस्तक परिपत्र भाग दो,

(2) मूलभूत नियम 112 तथा 113

न्यायालय द्वारा शासकीय सेवक को साक्ष्य देने के 144 प्रयोजन से शासकीय दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाये जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया साक्ष्य देने, विभागीय जाँच पर उपस्थित होने अथवा 147 दीवानी या फोजदारी दोषारोप के उत्तर देने हेतु यात्रा बाबत।

143 143

नियम 12

अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना

(Unauthorised Communication of Information)

1.	नियम.	1.	154
2.	म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-	3	154
	पुस्तक परिपत्र भाग-1, क्र. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश	154
	पुस्तक परिपत्र भाग-2, क्र. 1	शासकीय पत्र व्यवहार	154
(1)	क्र. एफ-11/18/98/9/एक	शासकीय पत्राचार में अधिकारियों द्वारा अपने नाम और	157
	दिनांक 3 फरवरी, 1999	पद का स्पष्ट उल्लेख करने बाबत ।	
(2)	क्र. सी 5-1-96-3-एक	शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय	157
	दिनांक 27 मार्च, 2001	दस्तावेजों का दुरुपयोग ।	
(3)	क्र. सी-5/2/2008/3/एक	म.प्र. सिविल सेवा आचरण-नियम, 1965 में	158
	दिनांक 24.10.2008	संशोधन ।	
(4)	क्र. सी-5-2-2008-3-एक	शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय	158
	दिनांक 27 सितम्बर, 2008	दस्तावेजॉ का दुरुपयोग ।	
3. f	नेयम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन	निर्णय-	-
and the second	(1) नियम की संवैधानिकता		159

-	-	_	- D
1000		1.1.1	
विष		-	

[xvii

		नियम 13	
		चन्दा	
		(Subscription)	
1, F	ोयम		160
2. 4	।.प्र. राज्य शासन के निर्देश		160
(1)	पुस्तक परिपत्र भाग 1, क्र. 9	सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश	160
(2)	पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्र. 10	जनहित के कामों के लिए चन्दा तथा दान इक्ट्ठा	161
	1	करना	
(3)	क्रमांक 388-मु.स/76,	शासकीय अधिकारियों द्वारा चन्दा एकत्र करने	163
	दिनांक 6-5-1976	के बारे में।	
	क्रमांक 5214/5754/(4),	तदैव	163
	दिनांक 21-9-1981	1 A	
	क्रमांक 6108/1 (4),	तदैव	163
	दिनांक 18-10-1982	*	
(4)	क्रमांक एफ. 8-39/88/9/49,	शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कायों के लिये	
	दिनांक 21-4-1989	चन्दा एवं दान एकत्रित याि जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं का नामकरण	5
(5)	क्र. एफ-11-21/92/9/1,	मघ्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 शासकीय सेवकों द्वारा चन्दा इत्यादि एकत्र न किये जान्	167 1
	£	के संबंध में निर्देश।	
(6)		शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिए चन्दा/दान एकत्रित किया जाना तथा दानदाताओं के नाष	168 म
	दिनांक 12-9-2000	पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं के नामकरण संबंध	ĥ
		नियमों के सरलीकरण बाबत।	

3. नियम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) दान संग्रह- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम 169 का कोई कर्मचारी किसी न्यास अथवा अन्य संगठन के लिए अपने नियोजन के दौरान सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से दान संग्रह नहीं करेगा क्योंकि इससे दूषित और हानिकारक परिणाम निकलने की संभावना है 169

(2) आरक्षकों द्वारा रिट-याचिका फाइल करने के लिए आपस में चन्दा करना- अवचार नहीं है- प्रत्येक नागरिक न्यायालय पहुँचने के लिए स्वतंत्र है-रिट याचिका खर्चों सहित स्वीकार, आरोपपत्र अपास्त

xviii]	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) निय	10
	नियम 14	н , 196
	उपहार	
1. नियम	(Gifts)	
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-		
(1) GB.C. part I, Sl. No. 9 Para 9	सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश	17
 (2) क्र. 375/सी.आर. 309/1(3) दिनांक 30 जून, 1972 (3) एफ. सी-5-1/2000/3/एक दिनांक 19.4.2000 	निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/ सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मु उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत	173
	नियम् १६	17 10
शासकीय सेवक	ों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन	
(Public demonst	ration in honour of Govt. Servants)	2
2. राज्य शासन के निर्देश-		174
 (1) G.B.C. Part I, Sl. No. (2) मूलभूत नियम 74(ए) के अंतर्गत पूरक नियम (3) मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम 	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक अनुदेश चरित्र प्रमाण-पत्र देने का नियम- मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम 32 शासकीय सेवकों की समाप्ति पर सेवापुस्तिका का निपटारा।	174 174 175 175
(4) No. 7190-9221-1/57,	Public demonstrations in honour of Govern- ment Servants-Clarification of provisions contained in Government Servant's Conduct Rules.	
	नियम-16	
प्राइवेट	ट कारबार या नियोजन	
	business or employment)	
. राज्य शासन के निर्देश-		177
		178
GB.C. part I, Sl. No. 9 Para 11 and 21	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश	178
21-B. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांक 822-8279-एक,		
दिनांक 25-1-58	सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की तबदीली	181

	-सूची		[xix
(1)	क्रमांक 336/1174 (3)/76,	शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों	185
	दिनांक 16 अगस्त, 1976	के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	e5
2)	डी. क्रमांक 388/1174/1(3)/76,	शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों	185
	दिनांक 16 अगस्त, 1976	के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	
(3)	क्रमांक 453/712/1 (3)-79,	राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे उम्मीदवारों के	186
	दिनांक 12-11-1979	आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित	
		किये जाने बाबत।	
(4)	क्रमांक 626/2078/1//(3)/81,	बैंकों की सेवाओं में भर्ती के लिये इरिजन, आदिवासी	187
	दिनांक 22-12-1981	शासकीय कर्मचारियों को सीघे आवेदन-पत्र दिये जाने	
		की छूट प्रदान करने बाबत ।	
21-0	C. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांव	ਜ -12	
	छुट्टी पर रहने वाले अधिकरियों को गै	र सरकारी नौकरी को स्वीकार करने की अनुमति देना	187
21-)	D. पुस्तक परिपत्र, भाग-दो, क्रमांक	-10	
	जनहित कार्यों के लिये चन्दा तथा	दान इकट्ठा करना	
(1)	Mem.No. 9019-5116-1	Opportunities for Government Servants to	191
	dt. 8th July, 1957	improve their educational qualifications.	192
(2)	Mem.No. 413-2681/I(iii)/61 9th Feby, 1961	Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society	1.72
(3)	and a second second second second	Permission for attending classes in educa-	192
(0)	22nd September, 1961	tional institution and taking higher exami-	
-	Mem.No. 137/19887/I(iii)/64	nations. Recognition of Technical and Professional	192
(4)	15th Janaury, 1965	Oualifications.	
(5)		शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से	193
	दिनांक 13 जुलाई, 1972	उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी ।	
(6)) 束. 713/75	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा द्घ बेचने	19
	दिनांक 28 जुलाई, 1975	का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में ।	
(7) क्र. सी-3-30/84/3/1	शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु	19
	दिनांक 15 नवम्बर 1984	अनुमति प्रदान करने बाबत ।	
(8	D	शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों	19
	दिनांक 21 जनवरी, 1992	द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर	
1.0		प्रतिबंध ।	
(9) क्र. सी-5-5/92/3/1	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा	19
1	दिनांक 20 अगस्त, 1992	निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के	
		संबंध में ।	

(1) 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या कारोबार' का अर्थ (2) केन्द्रीय आचरण नियम 15 तथा मूलभूत नियम 11- सरकार के नियोजन के 195

5

-

दौरान, बिना अनुमति प्राप्त किए, निजी नियोजन में काम करना आरोप सिद्ध, सेव से हटाने का आदेश कायम रखा गया	ग
(3) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनुपास्थित रहना तथा बैंक में काम करना और वेतन प्राप्त करना- अभिनिर्धारित, गंभीर अवचार के लि पदच्युत उचित	196 ए
(4) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- सेवा से जानबूझकर परित्याग-कार्यालय के माध्य से बिना आवेदन भेजे विदेशिक नियोजन तलाश करना-शासकीय सेवक का अशोभनी आचरण-तथ्यों पर नियम 15(1) के अन्तर्गत अवचार सिद्ध नहीं	म 197 म
(5) कार्यालय में निजी कार्य करना व्यापार या कारोबार नहीं है नियम 17	198
विनियमन, उधार देना या उधार लेना	
(Investment, Lending and Borrowing)	
1. नियम	199
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-	200
GBC Part I, SI. No. 9 म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र के निर्देश Para 12	200
3. नियम 17 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-	
(1) नियम का अन्तर्निहित सिद्धान्त	201
 (1) नियम को अन्तानाहत सिद्धारप (2) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य आदत से है, एकल हष्टान्त पर आधारित नहीं होगा 	201
 (2) ऋणग्रस्तता को ताराव जावत तथा है (3) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिए 	201
(4) नियम 7(4)(ए)- 'पदीय संव्यवहार होने की संभावना' (likely to have official	202
dealings) का उच्चतम न्यायालय द्वारा परीक्षण (5) नियम 17(4) (एक) (ए)- ऐसे मित्र से उघार लेना जिससे शासकीय सेवक का पदीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर की पदीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर मी न हो, आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं होगा नियम 18	202
ऋण शोध क्षमता तथा स्वभावतः ऋण ग्रस्तता	
BUI SIIG GITTI (Inter indebtedness)	
(Insolvency and habitual indebtedness)	204
1. नियम	204
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- GBC Part I, Sl. No. 9 पूरक हिदायतें	204
Para 13 3. नियम 18 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- (1) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य स्वभावतः से है, एकल हष्टान्त पर आरोप आधारित नहीं होगा	205
10 6.0	and the

xx]

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

the second s	
दौरान, बिना अनुमति प्राप्त किए, निजी नियोजन में काम करना आरोप सिद्ध, से	वा
स स्टान की आदश कीयम रखा गया	
(3) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनुपास्थित रहना	196
तथा बैंक में काम करना और वेतन प्राप्त करना- अभिनिर्धारित, गंभीर अवचार के लि पदच्युत उचित	rq ive
(4) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- सेवा से जानबूझकर परित्याग-कार्यालय के माध्य से बिना आवेदन भेजे विदेशिक नियोजन तलाश करना-शासकीय सेवक का अशोभनी	म 197 य
आचरण-तथ्यों पर नियम 15(1) के अन्तर्गत अवचार सिद्ध नहीं	
(5) कार्यालय में निजी कार्य करना व्यापार या कारोबार नहीं है	198
नियम 17	
विनियमन, उधार देना या उधार लेना	
(Investment, Lending and Borrowing)	
1. नियम	199
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-	200
GBC Part I, Sl. No. 9 म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र के निर्देश	200
Para 12	
3. नियम 17 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-	
(1) नियम का अन्तर्निहित सिद्धान्त	201
(२) काणपानना का तालपर्य आदत से है, एकल राष्ट्रान्त पर आधारित नहीं होगा	201
(2) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की	201
्यान र से कार्यवाही नहीं करना चाहिए	202
(4) नियम 7(4)(ए)- 'पदीय संव्यवहार होने की संभावना' (likely to have official	202
	202
ि न्यूर्ग (गर) गरे गेमें मित्र से उघार लेगा जिससे शासकाय संजन	202
का प्रतीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार का स्थानाय सामाजा के साम	
भी न हो, आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं होगी	
नियम 18	
ऋण शोध क्षमता तथा स्वभावतः ऋण ग्रस्तता	
(Insolvency and habitual indebtedness)	
1. नियम	204
2 म म राज्य शासन के निर्देश-	204
GBC Part I, Sl. No. 9 पूरक हिदायतें	204
- 17	
Para 13 3. नियम 18 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- 3. नियम 18 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-	205
 1) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य स्वभावतः से है, एकल दृष्टान्त पर आरोप आधारित 	1999
नहीं होगा	
and the second	

(2) जब तक अवांछनीय तथा अस आदत न हो, कार्यवाही नहीं ब	ांयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की करना चाहिए	205
	अधिनियम, 1947 की धारा 5(1), (ख) तथा (ख)	205
	ार लेता है (भले ही उसकी कीमत अदा करने का उसका	
		6.1
2222200001341 00000020204 01400 0111 2244440	बेना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त करना नहीं	
कहा जा सकता- माल उधार ल	तेना 'धनीय फायदा' अभिप्राप्त करने की कोटि में नहीं	
आता		
	नियम 19	
जंगम स्थावर	तथा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति	
(Movable, Imm	ovable and Valuable Property)	
1. नियम		207
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-		
(1) GBC Part I, Sl. No. 9,	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूर्क निर्देश	211
para 14 (2) Mem. No. 1933-1505/I(iii)/60	Immovable property Form of return presc-	212
dt. 27th August, 1960	ription of and instructions regarding.	and a second sec
(3) Memo No. 614-1131/I(iii)/60	Purchase and disposal of immovable	213
27th Feb., 1961	property by Government Servants	
(4) Memo No. 204/49/I (iii)	Immovable Property Transactions relating to	214
dated the 25th January, 1962 (5) Memo No. 1857/CR-227/I (iii)/62 dt. the 22.8.1962	Immovable Property Transactions relating to.	215
(6) Memo No. 2351/1734/I(iii)/62	Immovable Property returns prescribed	215
9th November, 1962	under the Conduct Rules- Maintenance of	
(7) 死. 1950/2521/1 (3)/65,	म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के	216
दिनांक 15 सितम्बर, 1965	अन्तर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए	
4	जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी व	हो .
	देने के लिए फार्म।	
(8) 死. 24930/2992/एक(3)	शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति	218
दिनांक 22 नम्बर, 1968	खरीदी और बिक्री करने के लिए प्रक्रिया ।	
(9) 新420/1019/1(3)	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों	219
그 아이에는 것같아요 것은 것 같아? 것은 것 것 같아? 이 것 같아? 이 집에 있는 것 같아? 이 집에 있 않이 집에 있는 것 같아? 이 집에 있 않이 집에 있다. 이 집에 있 않이 집이 집에 있 않이 집에 있 않이 집에 있 않이 집이 집에 있 않이 집에 있 않이 집에	के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन-देन करने के संबंध	
दिनांक 9 जून, 1969	में अनुदेश ।	Manazari
(10) क्र. 174/278/एक (तीन)/74	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण	219
दिनांक ७ मार्च, 1974	भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना।	
(11) एफ. क्रमांक सी-5-1-83-3-एक	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965-	220
दिनांक 1 नवम्बर, 1983	नियम 19(4) - अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण	
	(Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में।	1.5

विषय-सूची

[xxi

XXIII	म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम,	
(12) एफ. क्रमांक सी-5-1/85/3-1 दिनांक 6 मई 1986 (13) क्र. 657/231/86/6/एक	शासकीय सेवकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति का क्रेय-विक्रेय बाबत । म.प्र. राज्य सिविल सेवा (आज्या) 0	22
(14) क्र. सी-5-1/94/3/एक दिनांक 5 जनवरी, 1994	स्वीकृत करने के पूर्व शासन के सूचना की अभिस्वीकृति या अनुमति प्राप्त करने के संबंध में। शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का णवर	
(15) क्र. सी-3-26/2000/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000 (16) क्र.सी 5-1/2002/3/एक, दिनांक 4-5-2002	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में। शासकीय सेवक को चल-अचल संपत्ति का अर्जन	223
(17) क्र. सी-5-1/2010/3/एक, दिनांक 15 फरवरी, 2010	अथवा निर्माण करने के सम्बन्ध में आचरण नियमों के अंतगंत स्वीकृति देने के सम्बन्ध में। शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर बेवसाइट पर उपलब्ध कराना।	
(18) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेवसाइट पर उपलब्ध करना ।	226
(19) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 3 मई 2010	वेसाईट पर उपलब्ध कराना।	226
(20) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 14 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेवसाईट पर उपलब्ध कराना।	227
(21) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 जुलाई 2010 छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण का वेवसाइंट पर अपलोडिंग।	227
 (1) क्र. एफ -11-1/2009/1-3 दिनांक 8-9-2009 	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन	228
(2) क्र. 174/278/एक (तीन)/74दिनांक 07 मार्च 1974	करना । शासकीय सेवर्को द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेश का पालन	229
(3) क्र. एफ-सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994	करना। शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन	229
(4) क्र.सी. 3-26/2000/3/एक दिनांक 27-09-2000	करना। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।	230

विषय	1-सूची		xxiii
(5)	क्र. एफ -2-1/2012/1-3 दिनांक 18.04.2013	अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना ।	230
(6)	क्रमांक 356/366/2008/एक/4, दिनांक 5/3/2014	शासकीय सेवा में नियुक्ति- शासकीय सेवर्को से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत घोषणा-पत्र प्रेषित करने बाबत्।	231
(7)	क्र. एफ -10-7/2003/1/5 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	माननीय संसद सदस्यों एवं विषायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहाईपूण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेक्ति अनुदेश।	231
(8)	688/एल-17/2/ब-4/चार/2003 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005	वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य भविष्य निधि पर देव व्याज दर।	232
(9)	क्र.10-7/2003/1/5 दिनांक 4 जुलाई, 2006	माननीय संसद सदस्यों एवं विषायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेकित अनुदेश।	232
(10) No. 11013/6/2005-Estt. (A) Dated the 16th June, 2006	Observance of courtesy by officers in their dealings with MPs and MLAs.	232

3. नियम 19 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

- (1) ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात से यदि अर्जित जायदाद अधिक हो तो यह अनुमान 233 लगाया जाएगा कि बेईमानी से अवैध अर्जित की गई
- (2) (अ) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा विक्रय-बेनामी लेन-देन नियम 18(2) तभी 233 लागू होगा, जब शासकीय सेवक द्वारा सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय बेनामी किया जाए। यदि शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य वास्तव में स्वामी के विक्रय या अर्जन से यह नियम शासकीय सेवक पर लागू नहीं होगा-इस नियम के अंतर्गत दुराचरण सिद्ध करने के लिए बेनामी लेनदेन की सभी शर्तों को सिद्ध करना पड़ेगा।
- (3) (व) पति-पत्नी (Spouse) अथवा शासकीय सेवक के परिवार के किसी दूसरे सदस्य 234 द्वारा अपने घन (खीधन, उपहारों, दायप्राप्ति इत्यादि) से अपने नाम सम्पत्ति क्रय की जाये तो नियम 18(2) तथा (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् शासकीय सेवक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा
- (4) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता- भ्रष्टाचार की परिकल्पना-अभिनिषांरित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन 5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है।
- (5) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता-भ्रष्टाचार 236 की परिकल्पना-अभिनिर्धारित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाठचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है। आय के 10 प्रतिशत से कम अनुपातहीनता को छोड़ना होगा- अनुपातहीनता केवल 2.50 प्रतिशत ही है अतः भ्रष्टाचार का आरोप कायम नहीं । चल सम्पत्ति की जानकारी देना अनिवाय- जानकारी न देना इतना गंभीर दुराचरण नहीं कि पदच्युत किया जाए- परिनिन्दा पर्याप्त ।

(4) नियम 19(2)- शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो 238 स्वयं अपने नाम से और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई स्थावर सम्पतित्त क्रय करेगा और न विक्रय ही । पूर्व मंजूरी भी लेना आवश्यक है- मकान क्रय करने के लिए अग्रिम बाबत् निवेदन करने का तात्पर्य नियम 19(2) की शतों के अनुसार, पूर्व जानकारी देना नहीं है ।

नियम 20

शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना

(Vindication of Acts and Character of Government Servants) 1. नियम

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 239 3. नियम 20 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

- (1) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17- सेवा के सदस्यों 240 के कार्यों और चरित्र के विरुद्ध दोष के प्रतिकार हेतु सदस्यों पर अवरोध-किसी समारोह में दिया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जाएगा और व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध के क्षेत्र से बाहर होंगे- अतः नियम 17 आकर्षित नहीं होगा
- (2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का सेक्शन 3 (क्यू) (पाँच)-सेवा के 241 मामले-सरकार के CrPC के सेक्शन 197 के अंतर्गत स्वीकृति देने से इन्कार करने के संबंध में शिकायत-अधिनियम के क्लाज (पाँच) के अन्तर्गत सेवा का मामला नहीं- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17 भी लागू नहीं। अतः याचिका निरस्त

नियम-21

अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना

(Canvassing of Non-official or other Influence)

1. नियम

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 Para 16

आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 243

243

वेषय-सूची		XXV
. नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन	र निर्णय-	
A) No. 16080-2375/1 (III),	Transfers and postings of Government	243
6th August, 1959 No. 279/272/I (iii)/65 5th February, 1966	servants Transfers and postings of Government servants.	244
3) क्रमांक 1575/1964/एक (3) दिनांक 27 सितम्बर, 1969	शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्यमंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश।	244
 क्रमांक 555/220/एक (3), दिनांक 20 फरवरी, 1970 	अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो।	245
(5) क्र. 1272/प्रसको/70,	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना ।	245
दिनांक 12 नवम्बर, 1970 (6) एफ क्र. सी/13-14/73/3/1	सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में।	24
(7) एफ. क्र. 5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	
(8) एफ. क्र. 5-6/77/3/1 दिनांक 29 जुलाई, 1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	24
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश- (1) क्र.एफ-1-2/2003/1/3	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	
दिनांक 2 जून 2004 (2) क्र.एफ-5-6/77/3/1,	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना,	
दिनांक 4 जुलाई, 1977 (3) क्र.एफ-2-1/2003/1/3 निरांक 16 जन 2003	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	24
िया 21 के संदर्भ में न्यायालयान	निर्णय -	24
स्थानान्तर पर राजनीतिक दबाव डात	लना नियम-22	
	द्विवाह	
a	Bigamous Marriage)	25
1. नियम 2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश	7	2
GBC, Part I, SI, No. 9 Para 1 छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-	कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के	2
(1) क्र. एफ 2-1/2004/1-3 दिनांक 28 जून, 2006	कामकाजा माहलाजा पा पा पा का अनुपालन। संबंध में निर्धारित मागदर्शी सिद्धान्त का अनुपालन।	

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आबरण) नियम, 1965

-	ज्ञ. एफ-02-01/2004/1-3
(2)	Parias 10 31xer, 2015
	No. 1482-945/I (iii)/61
	6th June, 1961

TTVII

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के 251 संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन। Plural marriages-Requests of Government 252 first wife is still living.

नियम 22 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

- (1) आचरण नियम में पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना 252 मुस्लिम समुदाय के शासकीय सेवकों के लिये लागू है और नियम वैध है
- (2) बिना अनुमति के मुस्लिम शासकीय सेवक द्वारा तीसरा विवाह करना-चूंकि मुस्लिम 253 स्वीय विधि में ऐसा विवाह अनुज्ञेय है अतः शास्ति कठोर है-एक वेतनवृद्धि रोकना पर्याप्त
- (3) एक शासकीय सेवक का दूसरे शासकीय सेवक से द्विविवाह करना-आचरण नियम 254 का उल्लंघन-सेवा से पदच्युत करना उचित-शास्ति की मात्रा का न्यायिक परीक्षण
- (4) बिना अनुमति के दूसरा विवाह करना-आरोप अस्पष्ट तथा कहे-सुने बयानों पर 254 विश्वास का प्रभाव-विभागीय जांच में प्रमाण का मापदण्ड
- (5) द्विविवाह का आरोप-विभागीय जांच-विभागीय कार्यवाही के सीमित उद्देश्य के लिये 255 दूसरे विवाह के प्रश्न को परीक्षण से विभागीय प्राधिकारियों को रोका नहीं जा सकता। पदच्युत आदश के प्रचलन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्थगित करना कि दूसरे विवाह का प्रश्न विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय पर नहीं तोड़ा जा सकता,उचित नहीं था-अभिनिर्धारित, विभागीय कार्यवाहियों के बाद अपचारी अपने वैवाहिक स्थिति (matrimomat status) हेतु सिविल या वैवाहिक न्यायालय जा सकता है।
- (6) पत्नी के जीवित रहते दूसरी सी से अम्बन्ध रखना-विभागीय जांच में दूसरी सी का 256 बयान न लेना, अभियोजन के लिये घातक-साक्ष्य के अभाव में आरोप स्थापित नहीं। पुरुष शासकीय सेवक का एक सी से यौन संबंध रखना-क्या प्रतिषेधी कानून अनुपस्थिति में दुराचार है, हाँ।

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

(General Concept of Misconduct)

1. नियम

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश		
GBC Part I, Sl. No. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक	257
para 3	हिदायतें- देखें नियम 3 के निर्देश ।	
नियम 22क के संदर्भ में न्यायालय	ीन निर्णय-	

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति 257 से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र

विषय-सूची

1. नियम

[xxvii

250

के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

(Consumption of Intoxication Drinks and Drugs)

			201
2.1	1.प्र. राज्य शासन के अनुदेश		259
(1)	GB.C. Part I, Sl. No. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक	259
	Para 20	हिदायतें ।	
(2)	क्र. सी. 5-2/84/3/I	मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में	259
	दिनांक 16 मई, 1984	आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से	
		अनुपालन करने को आवश्यकता।	
(3)	एफ. क्र. सी-41/90/3/49	शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश	260
	दिनांक 9 अगस्त, 1990	सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23	
		के अंतर्गत वचन-पत्र लेना।	

3. नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1)	ड्यूटी प	र रहते	हुए	बस	ड्रायवर	का	शराब	पीना-अवचार	26	1
-----	----------	--------	-----	----	---------	----	------	------------	----	---

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर 262 होना-गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित

नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

(Prohibition regarding Employment of Children below in 14 years of age) 263

1. नियम

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (1) 病. सी.-5-1/93/3/एक 263 से गृह कार्य न करवाने बाबत। दिनांक 27 सितम्बर, 2000 नियम-24

निर्वचन

xxviii]

.

۲,

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 196

xxviii]	म.प्र./छ.ग. ासावल सवा (आचरण) ानयम,	1961
	नियम-25	
	शक्तियों का प्रत्यायोजन	-
	(Delegation of Powers)	
1. नियम		265
2. शक्तियों का प्रत्यायोजन	इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियाँ	265
	नियम-26	1
1	निरसन द्वारा व्यावृत्ति	
	(Repeal and Saving)	1
1. निरसित नियम		267
	परिशिष्ट	
	(Appendix)	
(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनि	यम, 1988	268
(ख) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट	आचरण निवारण अधिनियम, 1982	282
(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम	, 1961	
(घ) आचरण नियम अनुसार	कार्य जिन्हें करने के पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व	299
नहीं है का परिशिष्ट	विश्यक हे तथा कार्य जिसमें स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक	304
 (ङ) शासकीय कर्मचारी अपने 	कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान क्या करें ? और क्या न करें ?	306
		198

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

अवचार की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिबन्धों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कृत या अकृत म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय माना जावेगा ।

[म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-5-1-83-3-1 दिनांक 7.12.1983 जो म.प्र. राजपत्र दिनांक 23.12.1983 के भाग-1 पृष्ठ 153 पर प्रकाशित हुआ ।]

2. राज्य शासन के अनुदेश :

(1) आचरण नियम, 1965 के नियमों पर पूरक हिदायतें- देखें नियम 3 का (2)

नियम 22क के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

एम.ए. जलील खान चतुर्थ श्रेणी का रेल सेवक था जिसे सुसंगत समय रेलवे आवास की पात्रता नहीं थी। सैय्यद रहीम जो आवास के ग्राही थे, सहमति से, उसे इस आवास में रहने की अनुमति इस वचन के साथ दी गई थी कि जब भी रहीम स्थानान्तर या अन्य आघार पर आवास रिक्त करेगा तो वह भी खाली कर देगा। मुख्य ग्राही ने 1-11-1987 को आवास रिक्त कर दिया। रेल प्रशासन के निर्देशों के बावजूद उसने आवास रिक्त करने से इन्कार कर दिया। प्राधिकारियों का मानना था, कि ऐसा आचरण, रेलवे आचरण नियमों के नियम 3 के विरुद्ध है। अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई और रेलवे आचरण नियमों के नियम 3 के विरुद्ध है। अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई और देतन रुपये 750-940 के न्यूनतम स्टेज पर तीन वर्ष के लिये वेतन घटाने और भविष्य में वेतनवृद्धि प्रभावित करने की शास्ति अधिरोपित की गई। विभागीय अपील में, नियमानुसार कार्यवाही कर सेवा से प्रभावित करने की शास्ति दी गई। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई का मत था कि शासकीय आवास रिक्त न करने पर आचरण नियम लागू नहीं होता, इसलिये शास्ति आदेश अपास्त किया गया। इसके विरुद्ध भारत संघ ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

(2) भारत संघ बनाम एम.ए. जलील खान : 1999 SCC (L&S) 637 : ने मत व्यक्त किया (2) भारत संघ बनाम एम.ए. जलील खान : 1999 SCC (L&S) 637 : ने मत व्यक्त किया कि विधिक वचनपत्र देने के बावजूद आवास रिक्त करने की कृत्य को उचित और प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अतः तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करना उचित था। तथापि अपीलीय जा सकता। अतः तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करना उचित था। तथापि अपीलीय जा सकता। अतः तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ करना उचित था। तथापि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई शास्ति आरोप को गंभीरता की तुलना में कठिन है। अतः इसे अपास्त करे, प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई शास्ति आरोप को गंभीरता की तुलना में कठिन है। अतः इसे अपास्त करे, प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई राई शास्ति आरोप को वाभ्यम रखा गया। यदि प्रत्यर्थी ने आवास नहीं खाली अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति को कायम रखा गया। यदि प्रत्यर्थी ने आवास नहीं खाली किया है तो दो माह के भीतर खाली कर दे, वरना पदच्युत का आदेश कायम रखा जाएगा। यह निर्णय प्रत्यर्थी के आवास आवंटन बाबत् आवेदन-पत्र में देने के बाधक नहीं होगा ।

नियम 22क

-t-

नोट :- अवचार को और भी स्पष्ट करने के लिए आचरण नियम '3' के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयों को भी देखें ।

विशेष टिप्पणी- म.प्र. आचरण नियम 1965 का नियम अपने आप में स्पष्ट है। तथा नियम 3 के प्रावधानों का पालन प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किया जाना अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार म.प्र. शासन द्वारा आचरण नियम 1965 में 22क जोड़कर अवचार की सामान्य धारणा को स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए हैं-

(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(2) म.प्र. भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982

कर्मचारियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को और भी अच्छी तरह परिभाषित करते हैं। अतः उन्हें भी नियमों के साथ परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया है :-

(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (परिशिष्ट 'क')

(2) म.प्र. भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1982 (परिशिष्ट 'ख')

(3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (परिशिष्ट 'ग')

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

शासकीय सेवक -

- (क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यकरूपेण पालन करेगा;
- '।(ख) न तो किसी प्रकार का " .क पेय या औषधि लेगा और न ही उसके असर से उसके कर्तव्यों के पालन कर किसी 5 हार का प्रभाव पड़ेगा। ;
 - (ग) किसी सार्वजनिक स्थान में तशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;
 - (घ) किसी मादक पेय या औⁿि या अध्यासतः अति उपयोग नहीं करेगा।

'स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयंः के लिये 'सार्वजनिक स्थान' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है।]

म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश':

(1) By the very nature of their position Government servants are expected to obey the laws for the time being in force and to set an example of law- abidingness to others citizens. The observance of this principle is particularly more important in relation to the laws on the subject or prohibition, as part from the obligations imposed by law, observance of these laws involves also the question of decency and suitable behaviour. Contraventions of prohibition laws, as also any other law, by a Government servant is therefore, regarded as a very serious matter. Accordingly, any breach of the prohibition laws on the part of a Government servant will render him liable to disciplinary action.

- Para 20 of GB. Part I, Serial No. 9

(2)

विषय :- मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता।

शासन के समस्त विभाग/कार्यालयों को यह ज्ञात है कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम, 1965 के नियम 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक-

- (क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा ।
- (ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा और न उसके

प्रभाव में रहेगा । (ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा ।

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यास्तः अति उपयोग नहीं करेगा ।

1. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. 472-962-एक (iii) दि. 12-6-1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र.सी. 5-1-96-उएक, दि. 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया।

म.प्र./छ.ग. सिबिल सेवा (आचरण) नियम, 1965

नियम 23

शासन का ध्यान कुछ मामलों की ओर दिलाया गया है जहाँ उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त उपबंधों के अनुसरण में दोहराया जाता है कि -

- (1) प्रत्येक शासकीय सेवक मादक पेयों या औषधियों के सेवन संबंधी आचरण नियमों के उपबंधों का ईमानदारी से पालन करें;
- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबंधों में शामिल मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों के आचरण पर कड़ी निगाह रखें; और
- (3) अनुशासनिक प्राधिकारी मध्यप्रदेश सिविल (आचरण) नियमावली, 1965 के नियम 23 के किसी उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लें और उक्त नियम का उल्लंघन करने में दोषी पाये गये सरकारी सेवक पर कठोरतम दण्ड लगाने से न हिचकिचायें।

शासन के समस्त विभागों से निवेदन है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिये उनकी जानकारी अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को दें। [म.प्र.शा.सा.प्र.वि.(2) क्र. सी. 5-2/84/3/I भोपाल, दिनांक 16 मई, 1984]

(3)

विषय :- शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का मादक पेयों तथा औषधियों के उपयोग के निषेध संबंधी नियम-23 निम्नानुसार है :-

- (क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा;
- (ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, और न उसके प्रभाव में रहेगाः
- (ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;
- (घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः भी उपयोग नहीं करेगा।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपर्युक्त नियम की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा अब यह और निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के (जिन पर ये आचरण नियम लागू हैं) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित शासकीय सेवकों से संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) लिया जाए कि वे सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यमाप नहीं करेंगे।

 उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करायें तथा घोषणा-पत्र प्राप्त कर, उनकी गोपनीय चरित्रावालियों में संलग्न करें।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद मेरे नाम से, इस पत्र का संदर्भ देते हुए मुझे भेजें और इन निर्देशों का पालन सम्पूर्ण हो जाने पर एक सम्पूर्ण पालन प्रतिवेदन भी।

[म.प्र.शा.सा.प्र.वि.(3) एफ. क्र. सी-41/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त, 1990]

घोषणा-एत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं सार्वजनिक रूप से अपने पद के कर्तव्यों के निवंहन की अवधि में मद्यमाप नहीं करूंगा।

स्थान दिनांक ...

.....

हस्ताक्षर

नाम, पद विभाग

- म.प्र. शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-4-1/90/3/49,

दिनांक 9-8-1990.

नियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या- मध्यप्रदेश उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 11) में 'मादक औषधि', 'मादक पेय' तथा 'स्थान' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

- (a) "Intoxicating Drug" means -
- (i) the leaves, small stalks and flowering or fruiting tops of the Indian hemp plant (Cannablis Satwal) including all forms knows as 'bhang', 'sindhi' or 'ganja';
- (ii) 'Charas' that is, the resin obtained from the Indian hemp plant, which has not been submitted to any manipulations other than those necessary for packing and transport;
- (iii) any mixture, with or without natural materials, of any of the above forms of intoxicating drug or any drink prepared there from; and
- (iv) any other intoxicating or narcotic substance which the State Government may, by notification, declare to be an imtoxicating drug, such substance not being opium coca leaf or a manufactured drug as defined in Section 2 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (II of 1930) - ' (12). - Sci
- (b) "Intoxicating Drink or Liwuor" includes spirits of wine, spirits, wine, tari' beer, all liquids containing alcohol, and any substance which the State Government may, by notification, declare to be liquor for purposes of this Act-

- Section 2 (13)

- (i) 'Spirit' means any liquor containing ascohol obtained by distillation, whether it - Section 2 (17) is denatured or not.
- (ii) 'Tari' means fermented or unfermented juice drawn from any kind of palm tree. - Section 2 (18)

(iii) 'Beer' includes ale, stout, porter, and all other fermented liquors usually made - Section 2 (1) from malt.

(c) 'Place' includes house, building, shop, booth, tent, enclosure, space, vessel, raft - Section 2 (15) and vehicle.

नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना-अवचार- जसवन्त सिंह पेम्सू सड़क परिवहन कार्पोरेशन में ड्रायवर था। ड्यूटी पर रहते हुए उसने शराब पी। सुसंगत स्थाई आदेशों के अंतर्गत उसने अवचार किया। जांच स्थापित की गई और उसे पदच्युत किया गया। श्रम न्यायालय ने मामले की परिस्थितिडुंके को घ्यान में रखते हुए पदच्युत कठोर शास्ति मानते हुए, पिछली मजद्री न देते हुए सेवा में बहाली का आदेश दिया। किन्तु उच्च न्यायालय ने इसे अनुचित माना और पदच्युत की शास्ति की पुष्टि की। विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में जसवन्त सिंह ने अपील की। जसवन्स सिंह बनाम

नियम 23

पेप्सू रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन : AIR (1984) SC 355 : (1984) 1 SCC 35 : 1984 SCC (L&S) 61 : के उपरोक्त मामले में अपील अंशतः स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

''हमारा यह मत स्पष्ट है कि सवारी बस या मशीन से चलित वाहन को बालक ड्यूटी पर नशे की हालत में वाहन नहीं चला सकता और न ही चलाना चाहिये क्योंकि इससे केवल बस की सवारियों को ही खतरा नहीं होता बल्कि सड़क पर चलने वालों को भी खतरा होता है। तथापि, अपीलार्थी के आचरण को देखते हुए कि यह उसका प्रथम अपराध है, श्रम न्यायालय का मत था कि मामले के तथ्यों को देखते हुए पदच्युत कठोर शास्ति थी और यह उपयुक्त नहीं थी, अतः उसने शास्ति कम की थी। किन्तु पिछली मजदूरी का न देना उचित शास्ति नहीं थी क्योंकि सद्धि अवचार के लिये यह शास्ति पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी को पूर्ण रूप से आचरण में रखने के लिये हमारे मत में, एक और शास्ति की आवश्यकता है तथा अधिरोपित करना चाहिये ताकि हमारे मानवतावादी सादृश्य उसे नशाखोरी हेतु दोबारा प्रवृत्त न करे। अतः हम निर्देशित करते हैं कि अपीलार्थी जिस वेतनमान में बहाल हो उसमें 3 वेतन वृद्धियाँ अगले तीन वर्षों तक न दी जायें। दूसरे लाभों के लिये वह सेवा में लगातार बना रहना समझा। इस सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।''

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना-गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित- राम सिंह, पुलिस आरक्षक दिनांक 6-9-1979 की शाम को रिवाल्वर धारित करते हुये अधिकतम नशे की स्थिति में बस स्टेण्ड पर ड्यूटी पर था। यातायात आरक्षक ने बड़ी कठिनाई से जीप में उसे पुलिस थाना लाया, रिवाल्वर जमा किया और चिकित्सा परीक्षण के समय डाक्टर से भी झगड़ा किया। डाक्टर ने अधिकतम नशे बाबत प्रमाणित किया। पंजाब पुलिस मैन्युअल, 1934 के नियम 16.2 (1) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, विभागीय जांच के बाद, उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया। यह नियम निम्नानुसार है :-

'Rule 16.2 (1) Dismissal shall be awarded only for the gravest acts of misconduct or as the cumulative effect of continued misconduct proving incrorrigibility and complete unfitness for police service, in making such an award regard shall be had to the lengh of service of the offender and his claim to pension.

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार बनाम सिंह, भूतपूर्व आरक्षक : (1992) 4 SCC : 54 : 1992 SCC (L&S) 793 : के उपरोक्त मामले में इस प्रश्न पर विचार किया कि उपरोक्त नियम के अर्थ के अंतर्गत क्या प्रत्यर्थी का आचरण गंभीरतम अवचार में आता है। सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए और भगवती प्रसाद बनाम पुलिस महानिरीक्षक : AIR 1970 P&H 81 : ILR (1968) 1 Punj. 368 : के निर्णय से सहमति व्यक्त करते यह मत व्यक्त किया कि -

'हमें तनिक भी शंका नहीं है कि प्रत्यर्थी, आरक्षक रहते हुए और रिवाल्वर रखते हुए, इयूटी पर था, जबकि उसने इयूटी पर शराब पी और उच्छूंखल हो गया। कार्यालय काल के बाहर कोई भी मादक पेयों का सेवन कर घर में रह सकता है। मादक पेयों का सेवन करना स्वयं में अवचार नहीं भी हो सकता। किन्तु पुलिस सेवा जैसे अनुशासनिक सेवा में इयूटी पर रहते हुए कार्मिक को अनुशासित रहना चाहिये तथा पीने का सहारा या इयूटी पर नशे की स्थिति में नहीं होना चाहिये। इसलिये सेवा में पदच्युत करने के लिये यह गंभीरतम अवचार संस्थापित होता है।'

नियम 23क

¹नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएगा।

म.प्र. राज्य शासन के निर्देश :

विषय :-शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत। संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 संशोधन क्रमांक सी-5-1/96/3/एक, दिनांक 25-5-2000.

उपरोक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में राज्य सरकार द्वारा नियम 23-क निम्नानुसार जोड़ा गया है :-

''नियम 23 ''क'' 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध-

नियम 2.5 में, नियम सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।'' कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।'' 2. कृपया आचरण नियम के उपरोक्त प्रावधानों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावें तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।

[म.प्र.शा.सा.प्र.वि.क्र. सी.-5-1/93/3/एक भोणल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000]

- - - - -

 After Rule 23, Rule 23-A inserted vide M.P., GAD. Notification No. F.C. 5-1-96-3-1, dt. 25-5-2000 published in M.P. Rajpatra dt. 25-5-2000 at page 669 to 670 (6).

महाविद्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदयार कार्य

प्राचार्य मार्गदर्शिका [83

के साथ, चरित्र-निर्माण की चासनी मिलाना ही सच्चे अर्थ में शिक्षण कार्य है।

अध्यापन के सम्बन्ध में, शासकीय अपेक्षाओं में, चरित्र-निर्माण किए जाने के लिए कोई अलग से आदेश प्रसारित नहीं होता है। वास्तव में अध्यापन के साथ चरित्र-निर्माण और मानव-मूल्यों की शिक्षा देना, एक छिपा-कार्यक्रम (Hidden agenda) होता है, जो शिक्षक को सच्चे गुरू का दर्जा देता है।

8.

विषय-ज्ञान की उपयोगिता, विद्यार्थी को तात्कालिक लाभ देती है, परन्तु विषय-ज्ञान के साथ उसे विवेक और बुद्धिमानी सदृश मानवगुणों का मूल्य बताना सच्ची और चिरस्थायी शिक्षा होती है।

General Duties and Conduct of the College Teacher :

[Source : UGC. Act 1956, College Code, Statute No. 28, Part VI, Section 16]

25. (1) Every teacher including the Principal shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a teacher.

(2) No member of the teaching staff except a part-time teacher of a college shall apply for any post under any other authority except through the Principal and in the case of the Principal through the Chairman of the Governing Body.

(3) A teacher, other than a part-time teacher, shall be a whole-time employee of the college and shall not without the previous approval of the Principal/Governing Body, engage himself in private tuition or in any trade or business or take up any occupation or work (other than as an examiner or author of books) which is likely to interfere with the duties of his appointment.

(4) No teacher shall except with the prior written sanction of the Principal/ Governing Body participate in the editing or management of any newspaper or periodical other than learned journals :

Provided that part-time teachers of Journalism shall be exempted from the operation of this sub-paragraph.

(5) (a) A teacher shall obey all lawful directions of the Principal and the Governing Body of the college. He shall, in addition to the ordinary duties as a teacher perform such other duties as may be entrusted to him by the Principal in connection with the co-curricular and extra-curricular activities in the college or duties in connection with examinations, administration and the keeping of discipline in the college.

(b) No teacher shall be required to teach for more than twenty four* periods (including those for tutorial work) in a week :

शिक्षक के दिवस एवं पीरियड आदि के लिए यू.जी.सी. द्वारा जारी कार्यभार सम्बन्धी निर्देशों 1998 का अक्लोकन करें।

84] प्राचार्य मार्गटशिका

महाविद्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदवार कार्ट

Provided that no part-time teacher shall be required to teach for more than twelve periods in a week.

(6) (i) No teacher shall act in a manner prejudicial to the interests of the college or associate himself with any activity, which, in the opinion of the Principal/ Governing Body might affect adversely the interests of the college.

(ii) No teacher shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organisation which takes part in politics nor shall be take part in aid of or assist in any other manner any political movement or activity nor shall be canvass or otherwise interfere in or use his influence in connection with or take part in any election to any legislature or local authority :

Provided that -

- an employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall not give any indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;
- (b) the employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this paragraph by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

(7) All teachers shall be governed by the rules of conduct if any, framed by the Government/Governing Body in conformity with the Adhiniyam, the Statutes, Ordinances, and Regulations of the University.

(8) Any infringement of the provisions of the college code shall be regarded as restraining of good discipline and would amount to misconduct and may well justify the initiation of disciplinary action against such teacher.

Duties of the Teacher of the College-Part VI

[Source : College Code Statute No. 28, Part VI, University Grants Commission Act. 1956.

[मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था विधि संग्रह 1997 सी.पी. सिंह, सुविधा लॉ हाऊस, भोपाल. पृष्ठ 323.]

महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों के कार्यों के सम्बन्ध में

[स्रोत : आयुक्त, उच्च शिक्षा के नीति पत्र क्र. 1529/860/आ.उ.शि./शाखा— 1/2005, दिनांक 15 जून 2005। पेज 1, पेरा बिन्दु (क) 2, 4, पेरा 2 बिन्दु ग आदि] महाविद्यालयों में पढ़ायें जाने वाले विषयों में सामान्यतः वरिष्ठ (Senior most) शिक्षक

को, विषय विशेष विभाग का विभागाध्यक्ष या विभाग प्रमुख का दायित्व सौंपा जाता है। इन वरिष्ठ शिक्षकों (प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक) को अपने विभाग में विषय का अध्यापन कार्य करने के

महाविद्यालय : वर्गीकरण, संगठन एवं पदवार कार्य

प्राचार्य मार्गदर्शिका (85

साथ, विभाग को निर्बाध ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भी सौंधी जाती है। स्नातकोत्तर विभाग और प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में विभागाध्यक्ष का दायित्व और विस्तृत एवं गम्भीर होता है।

विभागाध्यक्ष के सामान्य कार्य निम्नानुसार होते हैं :—

- महाविद्यालय के मास्टर टाइम-टेवल में विभाग का आन्तरिक टाइम-टेवल तैयार करना;
- विभाग के शिक्षकों में उनकी विषय-सम्बन्धी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में पेपर-वार अध्यापन कार्य आवंटन करना;

"प्राचार्य द्वारा विभागाच्यक्षों को निर्देशित किया जाये कि वे विभाग के समस्त शिक्षकों द्वारा सही समय में कक्षायें ली जा रही हैं, सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभागाच्यक्ष, अपने विभाग के शिक्षकों से, साप्ताहिक टीचिंग प्रोग्राम प्राप्त करें और सप्ताह के अन्त में उक्त कार्यक्रम के अनुसार किए गए शिक्षण कार्य का प्रतिवेदन, यदि किसी शिक्षक ने कक्षा नहीं ली है, अथवा अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी सूचना भी प्राचार्य को दी जावे''।

[ऊपर दिए नीति पत्र के पृष्ठ । में विन्दु (क)- (2)]

3. अपने चिभाग के शिक्षकों की उपस्थिति (डेली डायरी के माध्यम से) और शिक्षक द्वारा पूरे वर्ष का शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा एवं अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा।

अपने विभाग के शिक्षकों द्रारा पढ़ाये जाने वाले पीरियडों का दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक ब्यौरा रखना।

[आयुक्त, उच्च शिक्षा के नीति पत्र दिनांक 15-6-2005 पे. 2 यिन्दु (ग)]

4. "शिक्षकों के कक्षावार/विषयवार उपस्थिति रजिस्टरों की प्रविष्टियों की जांच करना, उनका मासिक सत्यापन करना कि विद्यार्थियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति नियम रूप दर्ज हो रही है। माह के अन्त में विभाग के सभी उपस्थिति रजिस्टर प्राचार्य के प्रतिहस्ताधर हेतु प्रस्तुत करना"।

''प्राचार्य द्वारा निर्देशित प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को अपराह वुलाई गई विभागाध्यक्षों की बैठक में उपस्थित होना और उस माह में किए गए शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों की समीक्षा में सक्रिय योगदान देना। जहां कहीं त्रुटि नजर आती है तो प्राचार्य द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार अगले महीने में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना।

5. शिक्षण कार्य का प्राचार्य द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यथासम्भव स्वयं भी उपस्थित रहकर अपना सक्रिय योगदान देना;

[आयुक्त, उच्च शिक्षा नीति पत्र दिनांक 15-6-2005, पे. 2 विन्दु (ग)]

6. भंडारधारों एवं विज्ञान विभागों के विभाग प्रमुखों को उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त भंडार-सामग्री का नियमानुसार क्रय, उपयोग एवं रख-रखाव का अतिरिक्त कार्यभार होता है। विभागाध्यक्षों को भंडार क्रय नियमों के साथ, उनके वित्तीय नियंत्रण की जानकारी भी आवश्यक होती है ताकि वे स्टॉक रजिस्टर आदि अन्य लेखीय प्रलेखों का विधिवत अनुरक्षण कर सके।

7. भंडारधारी विभागों के विभाग प्रमुख को प्रयोगशालाओं के सुव्यवस्थित संचालन के साथ, प्रयोगशाला कर्मचारियों के कर्त्तव्यों पर प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय नियंत्रण रखना और उन्हें मार्गदर्शन देना भी आवश्यक होता है।

महाविद्यालय : वर्गीकरण, चंगठन एवं पदवार कार्य

86) प्राचार्य मार्गदर्शिका

 सत्र के अन्त में विभागीय स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं अपलेखन आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का नियमानुसार सम्पादन कराना भी विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है।

9. इन कार्यों के अतिरिक्त, प्राचार्य द्वारा विभाग एवं महाविद्यालय के संचालन एवं विकास से सम्यन्धित सौंपे गए कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना भी विभाग प्रमुख की जवाबदेही होती है।

विभाग प्रमुख के इन प्रशासनिक कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए शासन ने उनके कार्यभार में छूट देने का प्रावधान रखा है।

[देखिए : यू.जी.सी. का शिक्षकों के लिए कार्यभार सम्बन्धी निर्देश 1998 पृष्ठ 13—14, सारांश में उद्धरित]

🖵 महाविद्यालय के अन्य अकादमिक * पद

ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी ये अधिकारी है, जो महाविद्यालय के महत्वपूर्ण विभाग क्रमशः प्रन्थालय एवं क्रीड़ा विभाग के प्रभारी अधिकारी होते हैं।

ग्रन्थपाल की सहायता के लिए, सहायक प्रन्थपाल (तृतीय श्रेणी कर्मचारी) एवं वृक्त लिपटर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) आदि के पद स्वीकृत रहते है। इसी प्रकार क्रीड़ा अधिकारी की सहायतार्थ कोर्टमेन, अंशकालीन आकस्मिक कोप कर्मचारी या दैनिक मजदूरी में कार्य करने वाले पूर्णतः अस्थायी व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है। उपयुंक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशिष्ट कार्य का उल्लेख संबंधित शाखा के अध्याय में किया गया है।

11 ग्रन्थपाल

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पु. vi, 23, 24, 33, 34, 39, 40]

''ग्रन्थपाल एक द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होता है। प्रत्येक मात्रविद्यालय में पदस्थ ग्रन्थपाल, ग्रन्थालयों के संचालन सम्बन्धी कार्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है।''

🗅 ग्रन्थपाल के सामान्य कार्य

[स्रोत : प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पु. 23, 24, 33, 34]

 ग्रन्थालय के कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग में संचालित करना, ग्रन्थपाल का आधारभूत कर्त्तव्य है।

ग्रन्थपाल, पूर्व में यह कार्य, प्रन्थालय समिति और ग्रन्थालय प्रभारी प्राप्थापक के सहयोग और मार्गदर्शन में करता था परन्तु यह व्यवस्था 17-12-1998 के एक आदेश से समाप्त कर दी गई है (इस आदेश की छाया प्रति, आगे वारहवें अध्याय— (ग्रन्थालय एवं वाचनालय में— शासनादेशों के संकलन में दी गई है)। इसके स्थान में 'ग्रन्थालय सलाहकार समिति' का गठन उपयोगी सिद्ध हो सकता है (देखिए अध्याय पांचवां, 'कार्यालयीन कार्यप्रणाली' में महाविद्यायलीन कार्डन्सल एवं समितियों के अन्तर्गत ग्रन्थालय सलाहकार समिति/)।

 ग्रन्थालय के लिए सभी आवश्यक पुस्तके, ग्रन्थ, फर्नीचर, अलमारी एवं उपकरण आदि की नियमानुसार खरीदी करने की कार्यवाही करना;

* ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के लिए अकार्यामक पद का प्रयोग यू.जी.सी. द्वारा नए बेतनमान के लिए जारी अधिसचना 1998 के पृष्ट 19 एवं 26 पर आधारित है।